राजस्थान सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई०ए०एस०

राजस्व अपील सं. 64/2023

अपीलांटगण–

1. कुम्भाराम पुत्र सांवलाराम जाति चौधरी
2. कोजी देवी पत्नी सांवलाराम जाति चौधरी
3. चौथीया पुत्र आसा जाति मेघवाल
4. चौथी देवी पत्नी मांगाराम जाति मेघवाल
5. छगना पुत्र आसा जाति मेघवाल
6. जेठा पुत्र गिरधारी जाति मेघवाल
7. जोधा पुत्र वीराराम जाति मेघवाल
8. तुलसाराम पुत्र सांवलाराम जाति चौधरी
9. देमाराम पुत्र देदाराम जाति चौधरी
10. देवाराम पुत्र भलाराम जाति चौधरी
11. नवाराम पुत्र सांवलाराम जाति चौधरी
12. पुखराज पुत्र वीराराम जाति मेघवाल
13. बाबुलाल पुत्र वीराराम जाति मेघवाल
14. भैराराम पुत्र गिरधारी जाति चौधरी

बनाम

रेस्पोडेंट्स –

1. तहसीलदार पचपदरा
2. उप तहसीलदार जसोल

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बालोतरा

सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बालोतरा

15. भीमला पुत्र आसा जाति
मेघवाल
16. मांगीया पुत्र आसा जाति
मेघवाल
17. मालाराम पुत्र भलाराम
जाति चौधरी
18. रूगनाथराम पुत्र भलाराम
जाति चौधरी
19. रूपाराम पुत्र देदाराम
जाति चौधरी
20. लेहरोदवी पत्नी वीराराम
जाति मेघवाल
21. सुआदेवी पत्नी आसा
जाति मेघवाल
22. हरा पुत्र गिरधारी फौत
के कायम मुकाम
22/1 रूपों पुत्री हराराम
जाति चौधरी
22/2 देवी पुत्री हराराम
जाति चौधरी
22/3 मूली पुत्री हराराम
जाति चौधरी
22/4 नरेश गोदपुत्र
हराराम जाति चौधरी
निवासियान टापरा,
तहसील पचपदरा, जिला
बालोतरा।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण सं. 1304 दिनांक 09.12.1999 जो उप तहसीलदार जसोल द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–
1. श्री देवीसिंह महेचा, अधिवक्ता अपीलांटगण की ओर से उपस्थित।

जिला कलक्टर
बालोतरा

निर्णय

दिनांक : 25.09.2024

1. अपीलांटगण की ओर से यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत मौजा टापरा खेत खसरा नंबर 978/372, 984/384, 382, 383, 996/384, 1007/408, 1010/408, 980/381 तहसील पचपदरा के नामान्तरकरण सं. 1304 पर उप तहसीलदार जसोल द्वारा पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 09.12.1999 के विरूद्ध दिनांक 06.10.2023 को इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा टापरा खेंत खसरा नंबर 978/372 क्षेत्रफल 5.3176 हेक्टेयर व 984/384 क्षेत्रफल 6.7744 हेक्टेयर, खसरा नंबर 382 क्षेत्रफल 0.243 गैर मुमकिन बैरा, खसरा नंबर 383 क्षेत्रफल 3.3399 गैर मुमकिन सड़ा, 996/384 क्षेत्रफल 0.8417 हेक्टेयर, 1007/408 क्षेत्रफल 6.2564 हेक्टेयर, खसरा नंबर 1010/408 क्षेत्रफल 0.2185 हेक्टेयर, एवं 980/381 क्षेत्रफल 6.0460 हेक्टेयर, खसरा नंबर 04 रकबा 83 बीघा 01 विस्वा अवस्थित है। उक्त खसरान भूमि सरहद मौजा टापरा का श्रीमान उपखण्ड अधिकारी बालोतरा के मुकदमा संख्या 2/91 फैसला दिनांक 29.04.1992 एवं तहसीलदार पचपदरा के आदेश क्रमांक 700 दिनांक 28.06.1999 को हल्का पटवारी टापरा द्वारा नामान्तरणकरण खोला गया व उप तहसीलदार जसोल द्वारा दिनांक 09.12.1999 को नामान्तरणकरण संख्या 1304 को स्वीकृत किया गया। उप तहसीलदार जसोल द्वारा पारित आदेश 09.12.1999 के विरूद्ध यह प्रथम अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। इस अपील के संलग्न धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने का निवेदन किया हैं।

जिला कलक्टर
बालोतरा

3. अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत अपील में मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अपीलाधीन नामान्तरकरण मंगवाया जाकर अवलोकन किया।

4. अपीलांटगण के योग्य अधिवक्ता ने दौराने बहस यह कथन किया कि अपीलांटगण की संयुक्त खातेदारी की जमीन मौजा टापरा उक्त खसरान नंबर मे से श्रीमान उपखण्ड अधिकारी बालोतरा ने कटाण रास्ता निकालने के आदेश पारित किये गये थे तथा उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार पचपदरा ने बाद जांच व कानूनी प्रकिया का पालन करते हुए उपखण्ड अधिकारी बालोतरा का आदेश नियम विरूद्ध होने एवं आदेश में रकबा भी अंकन नहीं होने से एवं धारा 251 में ऐसा रेकर्ड में इन्द्राज का कोई प्रावधान नहीं होने से तथा ऐसा कोई वैध आदेश उपखण्ड अधिकारी द्वारा जारी नहीं किया हुआ होने से नामान्तरणकरण खारीज योग्य है। उपखण्ड अधिकारी बालोतरा द्वारा तथाकथित पारित आदेश को तहसीलदार पचपदरा द्वारा रेस्पोंडेंट को बिना बताये व बिना किसी सक्षम आदेश के ही अपीलाधीन नामान्तरकरण भर कर स्वीकृत कर दिया। अपीलाधीन आदेश बिना किसी विधिक आदेश के भर कर पारित किया गया है, जो दिनांक 09.12.1999 दोषी पूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त आलोच्य नामानतरकरण की जानकारी होने पर अपीलांट द्वारा उपखण्ड अधिकारी बालोतरा के मुकदमा संख्या 02/1991 फैसला दिनांक 29.04.1992 की नकल मांगी गई, जिसकी नकल दिनांक 14.06.2023 राजस्थान राज्य सूचना आयोग जयुपर के आदेश के बाद उपखण्ड अधिकारी बालोतरा द्वारा ऐसा कोई आदेश कार्यालय द्वारा जारी नहीं करने की सूचना जरिये पोस्ट दिनांक 11.09.2023 को प्राप्त हुआ। उक्त आलोच्य नामान्तरकरण जानकारी हल्का पटवारी के मार्फत हुई, जिस पर अपीलांट ने राजस्व रेकर्ड की नकले हल्का पटवारी से मांगी जो तैयार होकर दिनांक 12.09.2023 को प्राप्त हुई। आपीलांटगण की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 1304 पर

जिला कलक्टर
बालोतरा

पारित उप तहसीलदार जसोल का आदेश दिनांक 09.12.1999 को निरस्त फरमाया जावे।

5. हमने अधिवक्ता अपीलांट एवं रेस्पोडेंट्स के द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया जिससे यह पाया जाता हैं कि मौजा टापरा के खेत खसरा नंबर 978/372 क्षेत्रफल 5.3176 हेक्टैयर व 984/384 क्षेत्रफल 6.7744 हेक्टेयर, खसरा नंबर 382 क्षेत्रफल 0.243 गैर मुमकिन बैरा, खसरा नंबर 383 क्षेत्रफल 3.3399 गैर मुमकिन सड़ा, 996/384 क्षेत्रफल 0.8417 हेक्टेयर, 1007/408 क्षेत्रफल 6.2564 हेक्टेयर, खसरा नंबर 1010/408 क्षेत्रफल 0.2185 हेक्टेयर, एवं 980/381 क्षेत्रफल 6.0460 हेक्टेयर, खसरा नंबर 04 रकबा 83 बीघा 01 विस्वा अवस्थित है। उक्त खसरान भूमि सरहद मौजा टापरा का श्रीमान उपखण्ड अधिकारी बालोतरा के मुकदमा संख्या 2/91 फैसला दिनांक 29.04.1992 एवं तहसीलदार पचपदरा के आदेश क्रमांक 700 दिनांक 28.06.1999 को हल्का पटवारी टापरा द्वारा नामान्तरणकरण खोला गया व उप तहसीलदार जसोल द्वारा दिनांक 09.12.1999 को नामान्तरणकरण संख्या 1304 को स्वीकृत होना बताया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेज कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा के पत्रांक 33 दिनांक 23.02.2023 में अवगत करवाया कि राजस्व फैसल रजिस्टर का अवलोकन पर माह अप्रेल 1992 में मुकदमा संख्या 2/91 निर्णय दिनांक 29.04.1992 से संबंधित फैसल होना नहीं पाया गया है। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, बालोतरा से मुकदमा संख्या 2/91 निर्णय दिनांक 29.04.1992 से संबंधित प्रत्रावली तलब की गई एवं अवलोकन किया जिसमें मुकदना नंबर 2/91 निर्णय दिनांक 24.04.1992 मे खसरा नंबर 109 रबका 100 बीघा मौजा गोपड़ी का होना बताया गया एवं नामान्तरकरण संख्या 470 को अपास्त होना बताया गया, जबकि आलोच्य नामान्तरकरण संख्या 1304 मौजा टापरा से संबंधित है। चूंकि नामान्तरकरण को फैसल हुए लगभग 24 वर्ष का समय हो चुका है, जो कि नामांतरण की अपील पेश करने हेतु अत्यधिक विलम्ब की श्रेणी में आता है। साथ ही

जिला कलक्टर
बालोतरा

नामान्तरकरण राजकोषीय (फीसकल) प्रकिया मात्र है। यदि अपीलांट अपने हक हकूकों के संबंध में अन्य कोई अनुतोष चाहता है तो उक्त मामले में सक्षम न्यायालय में घोषणात्मक वाद के जरिये प्राप्त कर सकता है। अतः अपीलांट सक्षम न्यायालय में घोषणा का दावा दर्ज करवाने हेतु स्वतंत्र है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत की गई यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य है।

6. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील खारीज की जाती है।

7. निर्णय आज दिनांक 25.09.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बालोतरा सत्यमेव जयते

(सुशील कुमार)
जिला कलक्टर, बालोतरा

जिला कलक्टर
बालोतरा